

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/1215/2023/10-11/1919

भोपाल, दिनांक 12/05/23

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,

लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर, मध्यप्रदेश।

विषय:- पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 31.90 हे.) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPR 011/2023-BHO दिनांक 28.04.2023 .

—0—

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने विषयांकित प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 12 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः भारत सरकार के चाहे अनुसार बिन्दु क्रमांक 01, 03, 04, 06,, 07, 08 एवं 10 आपसे संबंधित जानकारी शीघ्र इस कार्यालय को वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से भिजवायें, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-5/1215/2023/10-11/1912

भोपाल, दिनांक 12/05/23

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, मध्यप्रदेश।
2. उप संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, मध्यप्रदेश की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि भारत सरकार के पत्र में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 02, 05 एवं 09 आपसे संबंधित है। आवेदक संस्थान से जानकारी प्राप्त कर एकजाई जानकारी इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / INTEGRATED REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)
TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in



क्रमांक: 6-एमपीआर 011/2023-बीएचओ/

दिनांक : 28/04/2023.

प्रति.

प्रधान सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल,
(मध्यप्रदेश) ।

विषय: पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के विस्तार/ चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर (Online proposed 31.90 ha) संरक्षित वनभूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग को उपयोग पर देने बाबत ।

संदर्भ: नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक एफ-5/1215/2023/10-11/730 दिनांक 20/02/2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है ।
अतः निम्नलिखित जानकारी/ दस्तावेज प्रेषित करने का कष्ट करें :-

1. Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted. VA
2. Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted/uploaded. OTV
3. No objection certificates of concerned department (Railway, WRD, TL, etc.) shall be submitted. VA
4. Cost-Benefit analysis as per revised NPV rates shall be submitted. VA
5. The proposal is not recommended clearly by DFO in his Site Inspection Report (SIR). So, a revised SIR with clear recommendation shall be submitted. OFV
6. When was the existing road constructed ? Details shall be submitted with proper evidence. VA
7. Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan shall be submitted. VA
8. Administrative approval/ sanction letter of the project shall be submitted. VA

6-MPR011/2023-BHO

I/41643/2023

9. As per DSS analysis, the proposed CA area has 11.00 ha MDF. A revised CA area with all relevant information shall be submitted/uploaded. DA
10. As per the covering letter of proposal, the User Agency is PWD, NH Division, it seems that it is a State agency. So as per the FCA guidelines, non-forest land shall be submitted for CA. VA
11. The proposed road is part of Panna TR, regarding NBWL/NTCA clearance shall be submitted. R
12. *The proposed road is part of Panna TR and there is movement of tiger and other wild animals. Para 12.14 (c & d) of FCA Handbook 2019 are applicable in this project.* *

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय


(हरे राम कुमार)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन,
भोपाल।

Signed by Hare Ram Kumar

Date: 28-04-2023 14:36:50

Reason: Approved